**प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित "एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी" की दिनांक 27.10.2020 को अपरान्ह 03:00 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।**

प्रदेश के 16 नॉन अटेन्मेन्ट नगरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन तथा आगामी शीतकाल के दौरान वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों की समीक्षा प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा की गयी। बैठक में एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी के सदस्यों के साथ–साथ प्रदेश के अन्तर्गत चिन्हित 16 नॉन अटेन्मेन्ट शहरों से संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी/संयोजक जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में श्री अनुराग यादव, सचिव नगर विकास विभाग तथा श्री संजय सिंह, सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 भी उपस्थित थे।

2— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी तथा बैठक में प्रतिभाग करने वाले सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतियोगिता कराकर प्रदेश के नॉन अटेन्मेन्ट नगरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी संस्थानों यथा नगर निगम, वन विभाग, नगर पालिका परिषद, विद्यालय/कालेज/विश्वविद्यालयों को पुरस्कार प्रदान किये जाने की योजना है।

3— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा रिट याचिका सं0 681/2018 में दिनांक 21.08.2020 को पारित आदेश में नॉन अटेन्मेन्ट नगरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लागू कार्ययोजना के कार्य बिन्दुओं हेतु माइक्रो प्लान तैयार कर निर्धारित समयावधि में प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तत्संबंध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा एक मॉडल माइक्रो प्लान का प्रस्तुतिकरण किया गया तथा संबंधित विभागों को तद्नुसार विभिन्न बिन्दुओं को समावेशित करते हुए मॉडल माइक्रो प्लान के अनुसार अपने विभाग से संबंधित माइक्रो प्लान तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 में निर्धारित समय पर माइक्रो प्लान प्रस्तुत न किये जाने की दशा में संबंधित के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने तथा चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित किये जाने के आदेश दिये गये हैं। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त याचिका की सुनवाई माह–जनवरी में किया जाना प्रस्तावित है। निरन्तर की जाने वाली गतिविधियों हेतु माइक्रो प्लान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 नवम्बर, 2020 तक सभी संबंधित विभाग अपने माइक्रो प्लान तैयार कर सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त माइक्रो प्लान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया जा सके।

**(कार्यवाही— अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधि0)**

4— तत्पश्चात क्रम से समस्त नॉन अटेन्मेन्ट नगरों के द्वारा अपने नगर में अगामी शीतकाल के दौरान वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों का संबंधित नगर के नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गयी सूचनाओं/योजनाओं का पावर प्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक के दौरान निम्न बिन्दुओं पर समस्त नॉन अटेन्मेन्ट नगरों का प्रस्तुतीकरण किया गया:–

- नगरों द्वारा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपाय एवं Best Practices
- नगरों की वायु प्रदूषण हेतु जिम्मेदार कारकों/स्त्रोतों का विवरण।
- माह सितम्बर एवं अक्टूबर वर्ष–2019 की तुलना में वर्ष–2020 की वायुगुणता का तुलनात्मक विवरण
- जिले में निरीक्षण हेतु विभिन्न विभागों द्वारा गठित की गयी टास्क फोर्स के संबंध में जानकारी
- चिन्हित हॉट स्पाट पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपाय
- निर्माण इकाईयों द्वारा किया जा रहा स्वं–मूल्यांकन एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से चिन्हित इकाईयों का सत्यापन
- नगर निगम एवं वन विभाग को विभिन्न मदों में उपलब्ध करायी गयी धनराशि एवं उनके उपयोग प्रमाण–पत्र के संबंध में चर्चा।

प्रत्येक नगर के किये गये प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा उस नगर का **"वायु प्रदूषण नियंत्रण रिपोर्ट कार्ड"** प्रस्तुत किया गया, जिसमें उस नगर द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की स्थिति एवं परिलक्षित परिणामों के बारे में अवगत कराया गया।

5– संबंधित नगरों द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के उपरान्त **श्री अनुराग यादव, सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन** द्वारा अवगत कराया गया कि पी0एम0 2.5 का स्तर यातायात अवरूद्ध होने के समय अचानक बढ़ जाता है इस हेतु स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। पराली जलाने से भी पी0एम0 2.5 के स्तर में बढ़ोत्तरी होती है। सचिव नगर विकास विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित नगर आयुक्तों को गार्बेज बर्निंग को पूर्णतया बन्द कराने के निर्देश दिये गये। यह भी सुझाव दिया गया कि माइक्रो प्लान के टेम्पलेट तैयार करने में संयुक्त रूप से कार्य करें एवं तैयार किये गये माइक्रो प्लान संबंधित नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा उनसे जांच कराने के उपरान्त ही उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड को प्रेषित करें।

6– **श्री संजय सिंह, सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन** विभाग, उ0प्र0 उ0प्र0 शासन द्वारा हॉट स्पाट के बेहतर मैनेजमेन्ट हेतु सुझाव दिये गये।

7– प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा विस्तृत विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्देश दिये गये –

1– प्रदेश के अन्तर्गत "राष्ट्रीय क्लीन एयर प्रोग्राम" के अन्तर्गत अवेयरनेस एवं क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरण/स्वच्छ वायु के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता का कार्य करने वाली स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, स्कूलों तथा राजकीय/शैक्षिक संस्थानों को स्वच्छ पर्यावरण हेतु अपने कार्यक्षेत्र एवं कैम्पस में कार्य किये जाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से ऑनलाईन नामिनेशन व्यवस्था की सुविधा के साथ पुरस्कार स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जाय, ताकि उन पुरस्कारों को समारोह आयोजित कर वितरित कराते हुये अधिकाधिक संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया जा सके।

**(कार्यवाही–सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**

2– आगरा नगर में स्थापित परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्र के समीप चिन्हित हॉट स्पाट पर दिनांक 15.09.2020 से 20.10.2020 के तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार पी0एम0 10 की वृद्वि हुई है एवं पी0एम0 2.5 में पूर्व वर्ष

की तुलना में कमी परिलक्षित हुई है। इससे स्पष्ट है कि रोड डस्ट को कम करने हेतु सकारात्मक प्रयासो की आवश्यकता है एवं यातायात प्रबंधन पर बेहतर कार्य किया गया है।

**(कार्यवाही—अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधि0)**

3— क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा सूचनाओं के पोर्टल पर अपलोड संबंधी कठिनाईयों के निराकरण हेतु जे0आर0एफ़0 प्रदान किये जाने की मांग की गयी इस विषय में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जे0आर0एफ0 हेतु शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। गाजियाबाद नगर में पी0एम0 10 एवं पी0एम0 2.5 के स्तर में सितम्बर एवं अक्टूबर माह में पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। चिन्हित हॉट स्पाट में पी0एम0 10 की वृद्धि के कारण स्थानीय स्त्रोत है, जिन पर नियंत्रण की आवश्यकता है। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी को आई0आई0टी0, दिल्ली से समन्वय कर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया गया, क्योंकि आई0आई0टी0, दिल्ली द्वारा गाजियाबाद नगर की सोर्स अपोर्समेन्ट स्टडी का कार्य किया जा रहा है।

**(कार्यवाही—अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधि0)**

4— नोएडा नगर में पी0एम0 10 एवं 2.5 के आंकड़े लगभग पूर्व वर्ष के अनुसार ही पाये गये है। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नोएडा नगर में यातायात व्यवस्था को चिन्ताजनक बताते हुए सुधार किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रमुख सचिव द्वारा स्थानीय परिवहन अधिकारी/यातायात पुलिस के अधिकारियों को सड़क अतिक्रमण हटाये जाने एवं वाहन संचालन में समय की बचत हेतु यथोचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

**(कार्यवाही—अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधि0)**

5— नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर द्वारा मेट्रो परियोजना से समन्वय कर पब्लिक बाइक शेयरिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की सूचना दी गयी है एवं नगर निगम, कानपुर द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को नगर निगम के पार्किंग स्थलों पर खड़ा करने पर शुल्क मुक्त किया गया हैं।

6— नगर आयुक्त कानपुर द्वारा नगर में स्थापित डी0जी0 सेटों के संचालन हेतु समुचित दिशा—निर्देश/जानकारी बोर्ड द्वारा प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया तत्संबंध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि डी0जी0 सेट में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु रेट्रो—फिटिंग डिवाइस लगाये जाने के निर्देश मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्गत किये गये हैं, जिसके अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस हेतु 04 फर्मो को अधिकृत किया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश नगर आयुक्त कानपुर को प्रेषित किये जाने का आश्वासन दिया गया।

7— नगर आयुक्त, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर नगर में कोई भी रिंग रोड नहीं है, अतः वाहनों से मार्ग के अवरूद्ध होने एवं रोड डस्ट की

समस्या रहती है। नगर निगम कानपुर द्वारा वाटर स्प्रिंकलर का क्रय कर लिया गया है तथा 15 दिनों में 03 नये वाहन प्राप्त हो जायेंगे। नगर आयुक्त, कानपुर द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के Opex Part को Capex Part के रूप में उपयोग में लाये जाने हेतु स्वीकृति चाही गयी है। इस संबंध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर आयुक्त कानपुर को प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु कहा गया, जिससे इस हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

**(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधि0)**

**8–** लखनऊ नगर में वायुगुणता सूचकांक से परिलक्षित होता है कि सितम्बर एवं अक्टूबर माह 2020 में वर्ष 2019 की तुलना में बढ़ोत्तरी हुई है। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 द्वारा लखनऊ नगर में किये जा रहे वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों से संतुष्ट नहीं हुए। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 द्वारा एन0एच0आई0 के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने एवं जिलाधिकारी लखनऊ को अवगत कराये जाने के निर्देश क्षेत्रीय अधिकारी को दिये गये। यह भी अध्ययन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया कि नगर में स्थापित आई0टी0एम0एस0 से यदि ट्रेवेल टाइम में बढ़ोत्तरी हुई हो तो उसका सुचारू रूप से प्रबंधन कर अवगत कराया जायें।

**(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधि0)**

**9–** प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 द्वारा रायबरेली नगर में वायुगुणता सुधार हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना की गयी। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि जिन प्रचालकों के आधार पर रायबरेली नगर को नॉन अटेन्मेन्ट की श्रेणी में चिन्हित किया गया है, उनका विश्लेषण कर नगर को अटेन्मेन्ट श्रेणी में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रयास किया जाय।

**(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधि0)**

**10–** क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज को निर्देश दिया गया कि नगर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु किये जा रहे कार्यो को सुचारू रूप से करते हुए नगर को अटेन्मेन्ट श्रेणी में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रयास करें। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि यदि प्रयागराज में रोड डस्ट एवं ट्रैफिक मैनेजमेन्ट पर ध्यान दिया जाय, तो वायु प्रदूषण को बहुत कम किया जा सकता है।

**(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधि0)**

**11–** वाराणसी नगर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु किये जा रहे कार्यो की सराहना की गयी एवं नगर को अटेन्मेन्ट श्रेणी में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रयास करने के निर्देश दिये गये।

**(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधि0)**

**12–** फिरोजाबाद नगर को अटेन्मेन्ट श्रेणी में परिवर्तित किये जाने हेतु रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये, जिससे उक्त रिपोर्ट को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

**(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधि0)**

13– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार प्रस्तुतीकरण किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा नगर में शक्ति नगर के सड़क चौड़ीकरण किये जाने के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से अवगत कराया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह भी अवगत करायाा गया कि 1.7 लाख टन फ्लाई ऐश/दिन जनित होती है, जिसमें से 40 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग कर लिया जाता है एवं 60 प्रतिशत का उपयोग नही हो पा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा 10 स्टोन क्वैरीज को भरने हेतु आंवटित किया गया है। इस हेतु एन0ओ0सी0 के लिये आवेदन प्राप्त हुए है। क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह एक आनलाइन वर्कशाप कराकर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के बारे में उद्योग प्रतिनिधियों को अवगत कराये। खदानों से निकलने वाली गाड़ियों के व्हील वासिंग, पूर्णतया ढके हुए ट्रकों में ले जाने हेतु निर्देश दिये गये।

**(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधि0)**

8– उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चत कराये जाने के दृष्टिगत संबंधित प्रशासकीय विभाग शासन स्तर से अपने जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कराते हुये अनुपालन सुनिश्चित करायें।

**(कार्यवाही–अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, गृह, परिवहन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, कृषि, उद्यान, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन)**

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

**सुधीर गर्ग**
प्रमुख सचिव।

**उत्तर प्रदेश शासन**
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7**
**संख्या– 1066/81–7–2020–09(रिट)/2016**
**लखनऊ : दिनांक : 03 नवम्बर, 2020**

**प्रतिलिपि**–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण/सिंचाई एवं जल संसाधन/गृह/परिवहन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/ कृषि/उद्यान/खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, उ0प्र0, लखनऊ।
3– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
4– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
6– क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आँचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
7– प्रो0 सच्चिदानन्द त्रिपाठी, आई.आई.टी., कानपुर।
8– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

9– क्षेत्रीय अधिकारी, ईस्ट/वेस्ट, एन.एच.ए.आई., लखनऊ।

10– नगर आयुक्त, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा (बुलन्दशहर), फिरोजाबाद, सोनभद्र (अनपरा), बिजनौर (गजरौला), झाँसी, मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली एवं मेरठ।

11– प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा (बुलन्दशहर), फिरोजाबाद, सोनभद्र (अनपरा), बिजनौर (गजरौला), झाँसी, मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली एवं मेरठ।

12– क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा (बुलन्दशहर), फिरोजाबाद, सोनभद्र (अनपरा), बिजनौर (गजरौला), झाँसी, मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली एवं मेरठ।

13– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4/5, उ0प्र0 शासन।

14– गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(भारत प्रसाद)**
अनु सचिव।